पत्रांक–05 / बी01–09 / 2011
बिहार सरकार,
शिक्षा विभाग

प्रेषक,

जितेन्द्र प्रसाद,
सरकार के संयुक्त सचिव।

सेवा में,

प्राचार्य, कॉमर्स कॉलेज, पटना
प्राचार्य, गंगा सिंह कॉलेज, छपरा
शिक्षक नियोजन अपीलीय प्राधिकार, मुजफ्फरपुर
सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी
(बक्सर, नालन्दा, अरवल, बेगुसराय, जमुई,
शिवहर तथा पूर्णियॉ को छोड़कर)

पटना, दिनांक

विषयः– राजस्व की हानि / गबन / दुर्विनियोग के मामले में कृत कार्रवाई से संबंधित अद्यतन प्रतिवेदन उपलब्ध कराने के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक विभागीय पत्रांक–147 दिनांक–10.04.12, 212 दिनांक–05.06.12, 275 दिनांक–03.08.12 तथा 302 दिनांक–24.08.12 तथा 375 दिनांक–12.11.12 की तरफ आपका व्यक्तिगत ध्यान आकृष्ट करते हुए कहना है कि भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के वर्ष 2009–10 के "अंकेक्षण प्रतिवेदन–राज्य की वित्त के परिशिष्ट–3.6 तथा वित्तीय वर्ष 2010–11 के "अंकेक्षण प्रतिवेदन–राज्य का वित्त" के परिशिष्ट–3.4 में दर्शाये गये ऑकड़ो में अंकित राजस्व की हानि / गबन / दुर्विनियोग से संबंधित प्रत्येक मामले में अलग–अलग अनुपालन प्रतिवेदन की मांग की गयी थी। इस संदर्भ में कृत कार्रवाई की सूचना अभी तक अप्राप्त है। यह खेद का विषय है।

कुछ पदाधिकारियों द्वारा प्रतिवेदन सीधे विभाग को प्रेषित किया गया है, जबकि अंकेक्षण प्रतिवेदन की आपत्ति की कंडिकाओं को अनुपालन प्रतिवेदन महालेखाकार (लेखा परीक्षा) बिहार, पटना को भेजना है तथा उसकी एक प्रति विभाग को उपलब्ध कराना है.।

विषय की गंभीरता को देखते हुए पुनः आपलोगों से अनुरोध है कि अंकेक्षण प्रतिवेदन के आपत्ति के बिन्दु का अनुपालन प्रतिवेदन प्रधान महालेखाकार (लेखा परीक्षा) बिहार, पटना को अविलम्ब प्रेषित किया जाये तथा इसकी एक प्रति के साथ दिनांक–04.12.12 एवं 05.12.12 को निर्धारित बैठक में भाग लेना सुनिश्चित किया जाये

कृपया इस कार्य को सर्वोच्च प्राथमिकता दिया जाये।

अनुलग्नक–यथोक्त।

विश्वासभाजन,
Sd/
(जितेन्द्र प्रसाद),
सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक– 382 पटना, दिनांकः– 29/11/12

प्रतिलिपिः– निदेशक, (माध्यमिक शिक्षा) / निदेशक, (प्राथमिक शिक्षा) / निदेशक, (उच्च शिक्षा / निदेशक, (जन शिक्षा) / आई0 टी0 मैनेजर / सी0एम0 डी0 सेन्टर, शिक्षा विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ तथा आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

29.11.12
(जितेन्द्र प्रसाद),
सरकार के संयुक्त सचिव